



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225660
CG-DL-E-05032021-225660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 961]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942

No. 961]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021

का.आ. 1049(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

सरिस्का बाघ रिज़र्व 1213.34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और राजस्थान राज्य में अलवर जिला के थानागजी, राजगढ़, अलवर, बंसूर एवं मालाखेड़ा तहसीलों में स्थित है;

और, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफ.39 (2) आरईवी.ए/54 तारीख 5 अगस्त, 1958 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एफ 11(22) राजस्थान – 8/78 तारीख 27 अगस्त, 1982 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। सरिस्का बाघ रिज़र्व का महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास अधिसूचना सं.एफ 3(34) वन/2007 तारीख 28 दिसंबर, 2007 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था जिसका क्षेत्रफल 881.11 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 332.23 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र अधिसूचना सं. एफ 3 (34) वन/ 2007 तारीख 6 जुलाई, 2012 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और, बाघ रिज़र्व इसके अद्भुत जैवविविधता और लहरदार क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधी, शुष्क पर्णपाती प्रजातियों, शुष्क कंटीली प्रजातियों और वनस्पति और जीवजंतु की कई अन्य प्रजातियों के लिए आश्रय प्रदान करता है;

और, अरावली पर्वत श्रेणियों का भाग होने के कारण सरिस्का बाघ रिज़र्व अद्भुत है जो कि राज्य में घने वनों में से एक है;

और, सरिस्का बाघ रिज़र्व जैवविविधता के बिंदु से समृद्ध संरक्षित क्षेत्रों में से भी एक है। क्षेत्र से स्तनधारियों की लगभग 20 प्रजातियां, सरीसृपों की 11 प्रजातियां, उभयचरों की 2 प्रजातियां, पक्षियों की 374 प्रजातियां और पौधों की 420 प्रजातियों की पहचान की गई है। सरिस्का बाघ रिज़र्व में वनस्पति और जीवजंतु की कुछ स्थानिक और संकटापन्न प्रजातियां ढोक (एनोगेइस्सूस पेंडुला), सलार (बोसवेल्लिया सेरटा), कैथ (एकेशिया कटेचु), ढाका (बुटेया मोनोस्पर्म), बेर (जिजफुस जुजुबा, जेड.मौरिटिअना), चुरेल (होलोप्टेलिया इंटरग्रिफोलिया), अवानला (इम्बेल्लिका ओम्फिकिनालिस), गुगल (कोम्मिफोरा मुकुल), तेंदु (डिसप्यरोस मेलोनोक्सीलोन), कराया (स्टेरकुलिया उरेन्स), बाघ (पैंथेरा टाइगरिस), तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), चित्तीदार लकड़बग्घा (हैना हैना), बनबिलार (फेलिस चाउस), साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), छोटा भारतीय सिवेट (विवेर्किला इंडिका), सांभर (रुसा यूनीक्लोर), चितल (एक्सिस एक्सिस), काराकल (फेलिस काराकल) और बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा), आदि विद्यमान हैं;

और, क्षेत्र में विद्यमान मुख्य वनस्पति में गुरजन (लिन्नेया ग्राडिस एस वाईएन.एल.कोरोमंडेल्लिका), अमलतास (कैशिया फिस्तुला), बिन्नास (हेस्पाराथुसा करानुलाटा), गोया खैर (डिचरोस्टाचया सिनेरिया), खैर (अकेशिया कटेचु), सैजना (मारिंगा पटेरयगोस्पेरमी), रोहन (सोयमिदा फेबरिफुगा), मोखा (स्वेरेबरा स्वेटेनोआईडेस), रोहीनी(माल्लाटस फिलिपिनेंसिस), जमुन (सिजियगिम कुमिनी), गुलार (फिकस गलोमेराटा), कदम (मित्रगयना परवीफोलीअ), बहिरा (टेरमिनालिया बेल्लेरिका), धओरा (अनोगेइस्सूस लतिफोलिया), खजूर (फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस), हिंगोट (बालानिटेस ऐगयपतिका), सेवन (गमेलिया अरबोरेया), अर्जुन (टेर्मिनालिया अरजुना), नीम (अजादीराचटा इंडिका), पीपल (फिकस रेलिगोसा), बरगद (फिकस बेंघालेंसिस), शीशम (डालबेरगिया सिस्सू), बिजासाल (पटेरोकार्पुस मारसुपियम), ककोन (फलाकोउरिटा इंडिका), खारिनी (ऋगटिया टिंक्टोरिया), दुध्री (ऋगटिया टोमेंटोसा), झींझा (बौहिनिया रेकेमोसा), कासाइरिया (कसैरिया टोमेंटोसा), बरना (कृतैइवा रेलैगिओसा), बेल (ऐगले मार्मेलोसे), रोंज (एकेशिया लेउकोफलोइया), लिसोरा (कोरदिया माइक्सा), इमली (टमारिंदुस इंडिका), कैथ (लिमोनिया अकिडिस्सिमा), सिरीस (एल्विजिया लेब्बेक), सेमाल (बोम्बक्स सैइबा), केलास्टूरुस (केलास्टूरुस पानिकुलाटेस), आदि शामिल हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र में अन्य जीवजंतु प्रजातियां सामान्य लंगूर या हनुमान लंगूर (*प्रेस्विटिस एंटेल्स*), सामान्य यल्लो बेट (*स्कोटोफिलस हैथिस*), फाइव स्ट्रिपेड पलाम गिलहरी (*फनाम्बुलुस पेन्नांट*), हाउस माउस (*मुस मुस्कलुस*), हाउस रेट (*रट्टुस रट्टुस*), भारतीय ग्रेबिल्ले (*टेटेरा इंडिका*), भारतीय मोले-रेट (*बंडिकोटा बेंगालेंसिस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), ब्लू बुल और नीलगाय (*बोसेलाफुस ट्रागोकामेलुस*), लॉन्ग इरेड हेडगेहॉग (*हेमिडचिनुस ऑरिटस*), रूफोउस टेल्ड खरगोश (*लेपेस निगरिकोल्लिस* रूफेइउडाटस), छोटा भारतीय नेवला (*हर्पस्टेस एडवर्डसी*), चित्तीदार हिरण और चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), आदि है;

और, बाघ रिज़र्व में मुख्य पक्षियों में छोटा ग्रेबे (डाबचिक) (*टैचीवैप्टस रूफिकोल्लिस*), ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबे (*पोडिकेपस क्रिस्टेटस*), ग्रेट वाईट पेलिकन (*पेलिकनुस ओनोक्रोटलुस*), स्पोट-बिलिड पेलिकन (*पेलिकेनुस फिलिप्पींसिस*), डालमेटीअन पेलिकन (*पेलिकेनुस क्रिसपुस*), ब्लैक बिट्टेन (*दुपेटोर फलाविकोल्लिस*), ग्रेटर एडजुटेड स्टोर्क (*लेप्टोपटिलोस डुबिउस*), वोल्ली-नेक्कड स्टोर्क (*सिसोनिया इपिस्कोपुस*), यूरेशियन स्पूनबिल (*पलाटालेया लेउकोरोडिया*), ग्रेटर फ्लामिंगो (*फोइनिकोप्टेरुस रूबर*), कॉट्टोन पेयगमय-गोसे (*नेट्रापुस कोरोमानडेलिअनुस*), गढवाल्ल (*अनास स्ट्रेपेरा*), तीतर-टेल्ड जकाना (*हयड्रोफासिअनुस चिरुरगुस*), ग्रेटर पैटेड-स्नाइप (*रोस्ट्रातुला बेंगालेंसिस*), यूरेशियन बुडकॉक (*स्कलोपाक्स रूस्टिकोला*), पिंटेल स्नाइप (*गल्लिनागो स्टेनुरा*), भारतीय स्किम्मेर (*रयंचोपस अल्विकोल्लिस*), ड्रोगा कुक्को (*सुरनिकुलुस लुगुवरिस*), स्पोट्टेड ओवलेट (*अथेने ब्रामा*), लार्ज-टेल्ड नाइटजार (*कापरिमुल्युस मैक्रुरस*), ब्लैक-कैप्पेड किंगफिशर (*हालकयोन पिलेअटा*), यूरेशियन स्काईलार्क (*अलाउदा अरवेंसिस*), स्कालेट मिनिवेट (*पेरिक्रोकोटस फलाम्मेउस*), वेर्दीतेर फ्लार्डकैचर (*इयम्यिअस थालास्सिना*), रेड-हेडेड बुटिंग (*इम्बेरीजा बरुनिकेपस*), ब्लैक-हेडेड ओरीओल (*ओरीओलुस क्सथोरनुस*), आदि विद्यमान है;

और, सरिस्का बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के अलवर जिला में सरिस्का बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सरिस्का बाघ रिज़र्व के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 207.77 वर्ग किलोमीटर है।

विभिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	विस्तार
उत्तर	समान रूप से 1 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	समान रूप से 0

पूर्व	0 से 1 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	0 से 1 किलोमीटर
दक्षिण	100 मीटर से 1 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	0 मीटर से 1 किलोमीटर
पश्चिम	100 मीटर से 1 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	समान रूप से 1 किलोमीटर

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर-पूर्व दिशा में बाघ रिजर्व का बफर क्षेत्र 1 किलोमीटर से अधिक है और अलवर शहर वन सीमा रेखा के निकट विद्यमान है। इसलिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार उत्तर-पूर्व दिशा में शून्य है। राज्य वन विभाग ने यह भी सूचित किया है कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार स्थानीय हितधारकों के अनुरोध के कारण दक्षिण-पश्चिम दिशा में शून्य है।

(2) सरिस्का बाघ रिजर्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक-IIक, अनुलग्नक-IIख, अनुलग्नक-IIग और अनुलग्नक-IIघ** के रूप में संलग्न है।

(4) सरिस्का बाघ रिजर्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** की सारणी क और ख में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण,
- (ii) वन और वन्यजीव,
- (iii) शहरी विकास
- (iv) ग्रामीण विकास,
- (v) पर्यटन,
- (vi) नगरपालिका,

- (vii) राजस्व,
- (viii) कृषि,
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
- (x) पंचायती राज,
- (xi) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
- (xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए मानचित्रों को भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुनः वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.-** सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार

होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संनिर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सरण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	टिप्पणी (3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय

	और अपघर्षण इकाइयां।	निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटलों और रिसोर्टों की	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के

	वाणिज्यिक स्थापना ।	निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसॉर्टों की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी । यथा लागू विधियों के अनुसार होटलों और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाने को नियंत्रित किया जाता है।
12.	निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
22.	फर्में, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे तथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित एवं सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.स.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	जिला कलक्टर, अलवर	अध्यक्ष;
2.	नगर नियोजन के जिला स्तरीय अधिकारी, अलवर	सदस्य;
3.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
4.	माननीय वन्यजीव वार्डन	सदस्य;
5.	प्रधान पंचायत समिति उमरैन/राजगढ़/बंसूर/थानागजी/जमवा रामगढ़ (संबंधित क्षेत्र के लिए)	सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि को नामित किया जाना है	सदस्य;
7.	राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य;
9.	उप-संभागीय अधिकारी थानागजी/राजगढ़/अलवर/बंसूर/अलवर जिला/	सदस्य;

	जमवारामगढ़ जयपुर जिला (संबंधित क्षेत्र के लिए)	
10.	उप वन संरक्षक, अलवर	सदस्य;
11.	उप वन संरक्षक, सरिस्का बाघ रिज़र्व	सदस्य- सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्वधीन होंगे।

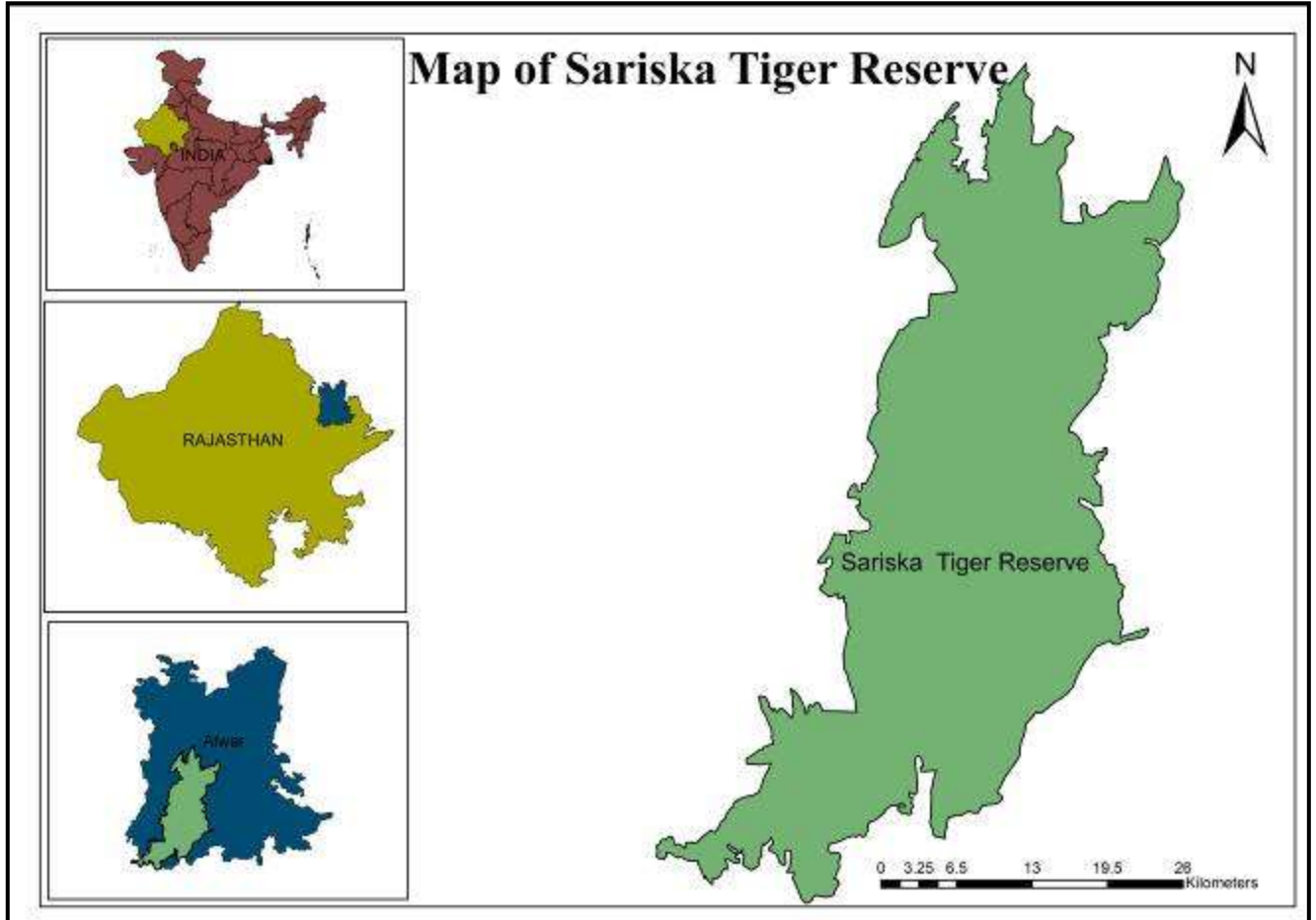
[फा.सं. 25/2/2021-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I**सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

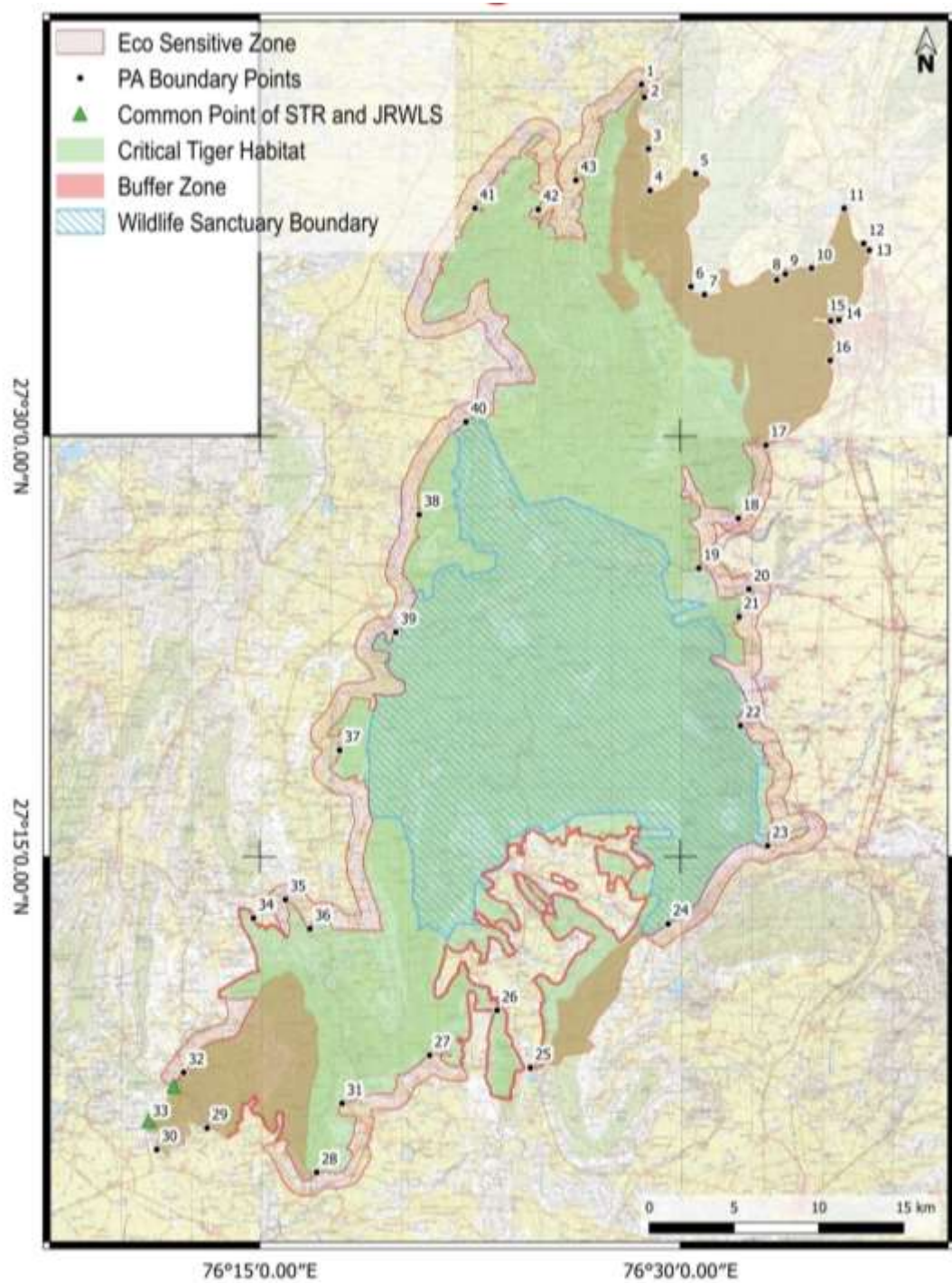
क्र.सं.	दिशा	विवरण
1.	उत्तर	पीएफ वन खंड हाजीपुर, मुंडली, घाट, रामपुर I, II, III, IV और आरएफ वन खंड रामपुर की बाहरी वन सीमा से 1000 मीटर तक है।
2.	उत्तर-पूर्व	पीएफ वन खंड जटयाना, हमीरपुर (कम्पार्टमेंट सं.1 से 5), तोदीयर, धौलीधुब, बाल्लाबोंदा की बाहरी वन सीमा से और आरएफ वन खंड (सरिस्का बाघ रिज़र्व सीमा के बफर क्षेत्र वन/ राजस्व के अंतर्गत) की बाहरी वन सीमा शून्य मीटर है।
3.	पूर्व	आर एफ वन खंड नीदानी, भाकेड़ा और पीएफ वन खंड बधकेशपुर, भाकेरा, उमरैन (सरिस्का बाघ रिज़र्व सीमा के बफर क्षेत्र वन/ राजस्व के अंतर्गत) की वन सीमा शून्य मीटर है और पीएफ खंड स्वदी, धावाला, गोपालपुरा, धर्मपुरा, पृथ्वीपुरा की बाहरी सीमा और आरएफ वन खंड सीलीबेरी, उमरी देवरी से 1000 मीटर तक है।
4.	दक्षिण-पूर्व	आरएफ वन खंड नंदू की बाहरी वन सीमाओं से 1000 मीटर तक है और आरएफ वन खंड बीगोटा (सरिस्का बाघ रिज़र्व सीमा के वन बफर क्षेत्र के अंतर्गत) शून्य मीटर है।
5.	दक्षिण	वन खंड चोटी चींद (आर एफ), मल्लाना 'ए' (पीएफ), मल्लाना मैन (पीएफ), जयसिंहपुर, बलदेगढ़, तीलवड़ मैन (पी एफ), कलवड़ (पीएफ), तीलवड़ ए, बी एवं सी (पी एफ), दब्कन (पी.एफ), दब्कन (आरएफ), भागनी (आरएफ), तेहला (पीएफ), नन्दू मैन (पीएफ), नंदू ए से एल (पीएफ), खरीयावास (पीएफ), तेहला मैन (पीएफ) की बाहरी सीमाओं से 100 मीटर तक है और पी एफ खंड बेरवा डुंगरी, धीरोदा, भानगढ़ की सीमा से 1000 मीटर तक है।
6.	दक्षिण-पश्चिम	दीगोटा आर एफ वन खंड (जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का भाग) के स्तंभ सं. 276 से भानगढ़ आरएफ वन खंड के दक्षिण पश्चिम कोण की बाहरी वन सीमाओं से 1000 मीटर तक है और दीगोटा (आरएफ) वन खंड के स्तंभ सं.276 से रायावाला ग्राम के साथ वन सीमा के दक्षिण पूर्व बिंदु 100 मीटर तक है और इस बिंदु (रायावाला ग्राम के साथ वन सीमा के दक्षिण पूर्व बिंदु) से दीगोटा (आर एफ) वन खंड के स्तंभ सं.425 तक शून्य मीटर है।
7.	पश्चिम	सरिस्का बाघ रिज़र्व- जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के साझा बिंदु पीपलाई 'ए' के बाहरी वन तक 1000 किलोमीटर तक है। पीएफ वन खंड पीपलाई 'ए' की बाहरी वन सीमा और पीपलाई मुख्य से 100 मीटर तक है और राजोरे, तोदीनीजरन बनी तलवरीकश के साथ आर एफ वन खंड सीलीबावड़ी, जोधावास की बाहरी वन सीमा और पी एफ वन खंड अजबगढ़, राईपुरा, श्यामपुरा, अमराकबश, थानागाजी, भुदियावास, तोलावास से 1000 मीटर तक है।
8.	उत्तर-पश्चिम	आर एफ वन खंड रामपुर की बाहरी वन सीमा और पी एफ मानावास, बीलाहट, बशालू, लेकरी, तोदिया का बास से 1000 मीटर तक है।

सरिस्का बाघ रिज़र्व, राजस्थान का अवस्थान मानचित्र

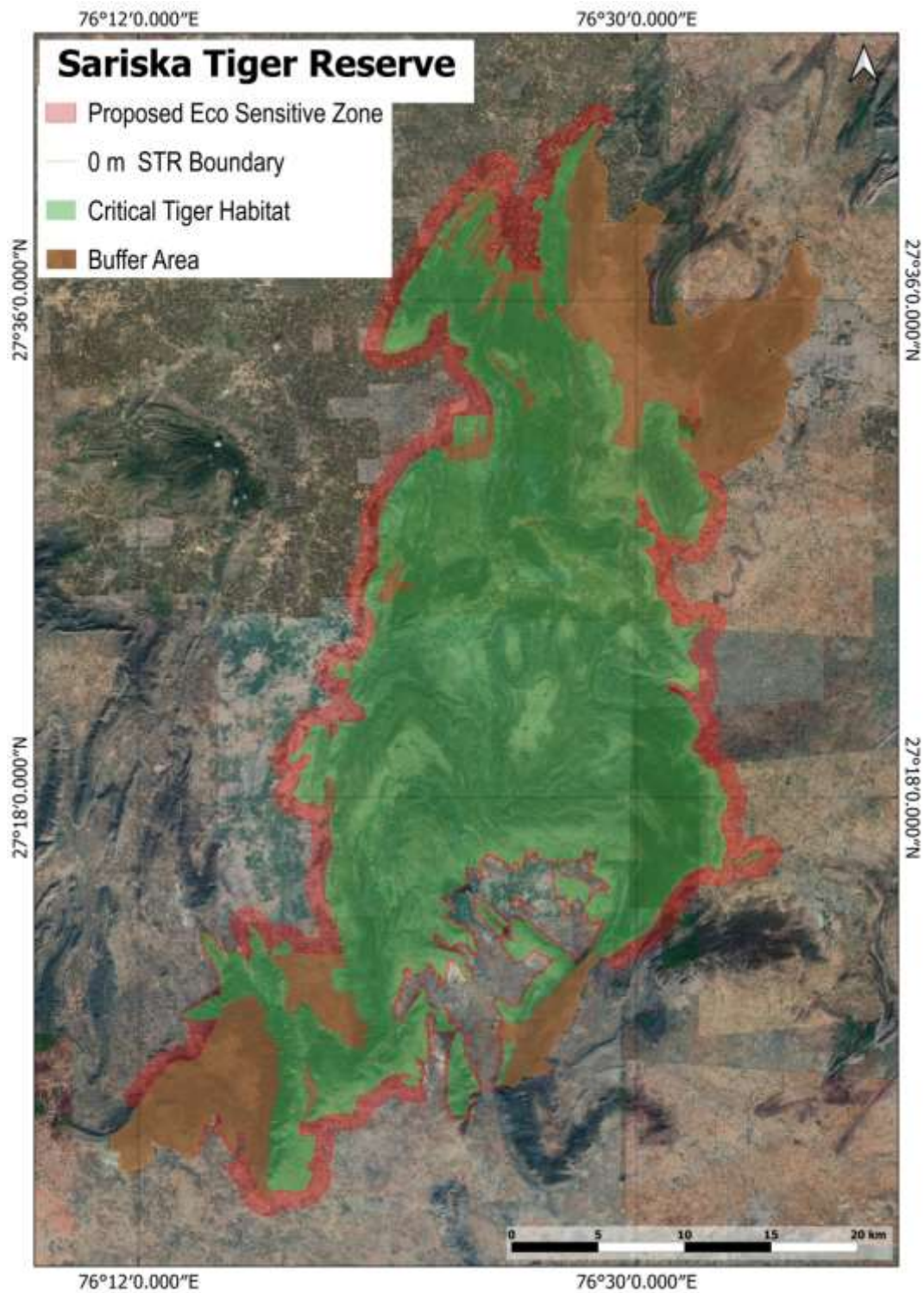


अनुलग्नक- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

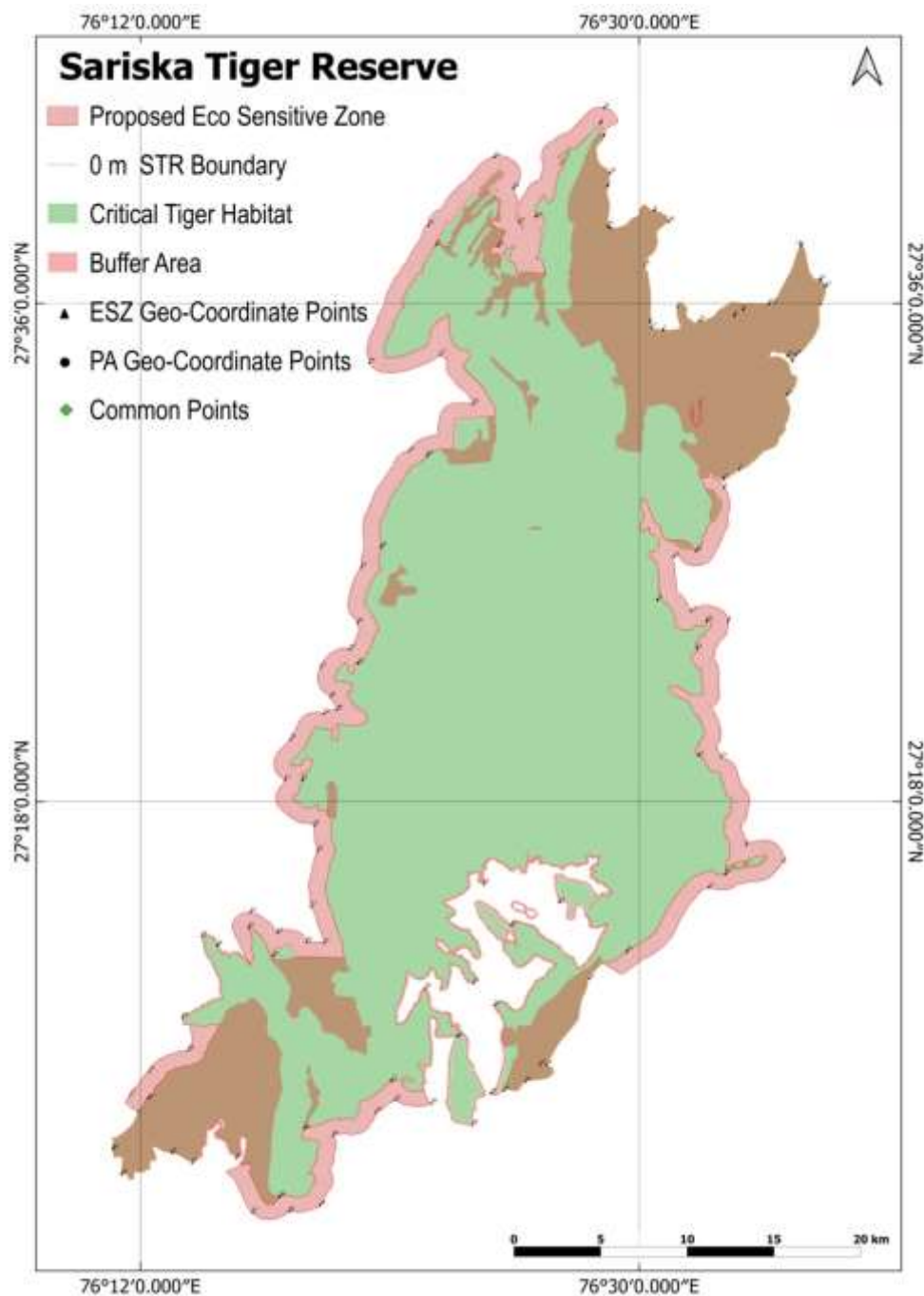


सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



अनुलग्नक- IIघ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



अनुलग्नक- IIIसारणी क: सरिस्का बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	प्रकार	अक्षांश			देशांतर		
			डीडी	एमएम	एसएस	डीडी	एमएम	एसएस
1	हामीरपुर सड़क क्रॉस सेक्शन	सड़क	27	42	32.955	76	28	36.84
2	हामीरपुर जोहाड	निकाय	27	42	5.283	76	28	42.96
3	मेडा अधीरा सड़क	सड़क	27	40	14.856	76	28	51.96
4	बुझा नदी	नदी	27	38	45.781	76	28	55.2
5	हिलटोप टोपोशीट 589	पहाड़ी	27	39	21.746	76	30	32.76
6	हिलटोप टोपोशीट 584	पहाड़ी	27	35	20.231	76	30	23.04
7	सिरावास से धमलाकाबास	कच्चा सड़क	27	35	2.736	76	30	51.84
8	हिलटोप टोपोशीट 578	पहाड़ी	27	35	33.975	76	33	26.28
9	हाजीपुर सड़क	सड़क	27	35	47.193	76	33	45
10	मच का तिराहया	सड़क	27	35	59.678	76	34	40.8
11	कदु की बांध (दक्षिण पूर्व कोना)	बांध	27	38	7.595	76	35	50.64
12	चुरसीध मंदिर	मंदिर	27	36	52.411	76	36	32.4
13	अलवर-बेहरोद एसएच	सड़क	27	36	38.204	76	36	44.28
14	सागर(अलवर के पीछे)	निकाय	27	34	8.914	76	35	39.48
15	प्रतापबंध पाल	निकाय	27	34	6.832	76	35	21.84
16	हनुमान मंदिर सादक एवं चैनल	सड़क	27	32	42.178	76	35	20.76
17	सिलिसेथ तिराहया एस एच	सड़क	27	29	40.765	76	33	3.24
18	अकबरपुर जोहड	निकाय	27	27	4.185	76	32	4.2
19	बाराबीर (रूपारेल नदी)	सड़क	27	25	17.472	76	30	39.6
20	नवली मंदिर	मंदिर	27	24	32.730	76	32	26.88
21	खताका जोहड	निकाय	27	23	33.240	76	32	5.64
22	सिलिबेरी नदी (भट्टावाला)	नदी	27	19	40.439	76	32	8.88
23	सुखरी नदी (रामसारा)	नदी	27	15	23.298	76	33	6.84
24	कुंदला तिराहया एवं जोहड	सड़क	27	12	36.045	76	29	34.08
25	रादिया बंदा	निकाय	27	7	28.051	76	24	39.24
26	कोप्पेर मिने पिटस (खो दारीबा)	खनन	27	9	31.285	76	23	27.96
27	बुरजा तिराहया(अलवर)	सड़क	27	7	54.863	76	21	3.6
28	जिला सीमा(अलवर-दाउसा-जयपुर)	सड़क	27	3	44.100	76	17	2.04
29	रायावाला बंदा बांदा	बांध	27	5	19.40	76	13	7.58
30	अंधी मारबले क्यूरू	उद्योग	27	4	33.25	76	11	19.72

31	सरसा माता नदी	नदी	27	6	11.867	76	17	56.4
32	नाताता दाउसा सड़क	सड़क	27	7	17.869	76	12	17.28
33	नाका वन (संकोतरा)	चौकी	27	5	27.133	76	11	0.6
34	पिपलाई मंदिर	मंदिर	27	12	48.528	76	14	46.68
35	मोरदी का घाटा	सड़क	27	13	28.298	76	15	55.08
36	सिध का तिबराह	सड़क	27	12	26.157	76	16	47.64
37	उदयनाथ पैलेस	पर्यटक स्थल	27	18	47.680	76	17	51
38	कालाखोरा मंदिर	मंदिर	27	27	12.113	76	20	41.28
39	एस एच अलवर-जयपुर	सड़क	27	23	0.569	76	19	51.24
40	तालवृक्ष सड़क	सड़क	27	30	30.605	76	22	21.36
41	लेकरी	ग्राम	27	38	8.047	76	22	40.8
42	रामपुर मंदिर	मंदिर	27	38	5.328	76	24	56.16
43	मंगलवा जोहड़	निकाय	27	39	7.719	76	26	16.8

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश			देशांतर		
	डीडी	एमएम	एसएस	एसएस	एमएम	एसएस
1	27	35	58.51	76	36	32.63
2	27	38	7	76	35	51.04
3	27	33	55.65	76	35	31.73
4	27	15	51.3	76	35	13.48
5	27	36	2.57	76	34	53.73
6	27	16	27.54	76	33	52.07
7	27	30	1.53	76	33	36.87
8	27	24	32.16	76	33	12.79
9	27	29	21.19	76	33	4.2
10	27	19	36.9	76	32	57.35
11	27	14	54.71	76	32	31.19
12	27	35	23.78	76	32	11.1
13	27	24	54.07	76	31	52.84
14	27	35	53.91	76	31	23.01
15	27	26	51.41	76	31	16.38
16	27	38	58.48	76	31	5.08
17	27	35	9.12	76	30	26
18	27	37	23.09	76	30	11.37
19	27	40	43.62	76	28	57.28

20	27	38	48.78	76	28	51.73
21	27	43	4.55	76	28	45.19
22	27	11	37.18	76	28	12.5
23	27	14	22.74	76	27	7.22
24	27	8	30.07	76	26	40.03
25	27	8	30.07	76	26	25.28
26	27	7	53.84	76	25	54.07
27	27	38	56.35	76	25	40.98
28	27	40	10.74	76	25	27.86
29	27	13	32.84	76	25	23.33
30	27	7	34.48	76	25	6.82
31	27	41	18.15	76	24	47.01
32	27	10	39.08	76	24	46.37
33	27	15	1.72	76	24	24.01
34	27	11	27.83	76	24	1.85
35	27	32	22.95	76	24	1.32
36	27	6	20.82	76	23	59.56
37	27	34	9.62	76	22	49.36
38	27	7	6.57	76	22	30.42
39	27	38	50.55	76	22	24.56
40	27	11	16.59	76	22	17.38
41	27	30	40.78	76	21	42.12
42	27	7	14.28	76	21	12.23
43	27	6	47.22	76	20	30.66
44	27	33	52.54	76	20	16.36
45	27	26	28.97	76	19	58.41
46	27	24	28.57	76	19	50.75
47	27	23	31.11	76	19	33.23
48	27	21	20.03	76	19	6.66
49	27	5	56.82	76	18	57.03
50	27	21	48.03	76	18	51.54
51	27	12	54.96	76	18	38.71
52	27	21	11.44	76	18	37.4
53	27	22	52.38	76	18	30.65
54	27	3	25.15	76	18	29.5
55	27	16	14.25	76	18	23.83

56	27	17	9.5	76	18	16.43
57	27	14	13.47	76	18	9.6
58	27	12	55.96	76	17	59.98
59	27	20	15.37	76	17	25.16
60	27	3	12.5	76	17	22.12
61	27	18	47.85	76	17	13.27
62	27	13	16.56	76	16	57.14
63	27	3	10.35	76	16	2.45
64	27	14	0.65	76	15	58.34
65	27	5	8.03	76	15	28.63
66	27	13	9.25	76	14	13.46
67	27	4	57.86	76	13	51.68
68	27	9	1.79	76	13	44.34
69	27	10	13	76	13	31.22
70	27	8	16.92	76	12	19.87
71	27	7	25.69	76	11	38.53

अनुलग्नक-IV

भू-निर्देशांकों के साथ सरिस्का बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम की सूची

क्र.सं	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	अलवर	अलवर	सीरावस सुंदरवास बद्रीनगर	27°36'25.6" 27°35'20.1" 27°35'23.5"	76°27'55.2" 76°28'09.9" 76°28'55.8"
2	अलवर	अलवर	धेलावास	27°33'10.8"	76°29'22.0"
3	अलवर	अलवर	बिनाक	27°30'56.0"	76°29'09.3"
4	अलवर	अलवर	भक्तपुर	27°32'24.5"	76°30'24.3"
5	अलवर	अलवर	किशनपुर	27°31'48.2"	76°31'21.8"
6	अलवर	अलवर	पैथपुर	27°30'54.1"	76°31'27.5"
7	अलवर	अलवर	सवाडी	27°28'38.0"	76°32'53.6"
8	अलवर	अलवर	धवाला	27°27'38.2"	76°32'14.4"
9	अलवर	अलवर	अकबरपुर	27°26'50.6"	76°31'47.6"
10	अलवर	अलवर	कलीखोल	27°28'40.6"	76°30'06.4"
11	अलवर	अलवर	गोपालपुरा	27°26'55.4"	76°30'52.0"
12	अलवर	अलवर	धरमपुरा	27°25'56.2"	76°30'42.6"
13	अलवर	अलवर	डोबा रिंगसपुरी	27°32'11.1"	76°31'54.2"

				27°32'27.2"	76°31'26.3"
14	अलवर	अलवर	रामनगर	27°33'59.7"	76°29'23.8"
15	अलवर	अलवर	रोगडा	27°34'28.2"	76°29'30.9"
16	अलवर	अलवर	श्योदानपुरा	27°30'02.84"	76°32'45.63"
17	अलवर	मालाखेड़ा	पृथ्वीपुरा	27°23'13.63"	76°33'09.21"
18	अलवर	मालाखेड़ा	पर्सिकाबस	27°24'59.9"	76°31'58.5"
19	अलवर	मालाखेड़ा	निरभयापुरा	27°25'20.5"	76°31'09.7"
20	अलवर	मालाखेड़ा	चांदफारी	27°25'12.2"	76°31'44.9"
21	अलवर	मालाखेड़ा	सिया कबास	27°24'35.2"	76°31'57.3"
22	अलवर	मालाखेड़ा	लम्पतिपुरा (खताका)	27°23'42.1"	76°32'13.9"
23	अलवर	मालाखेड़ा	भतयाला	27°19'33.5"	76°31'53.1"
24	अलवर	राजगढ़	पवता	27°07'42.91"	76°21'07.12"
25	अलवर	राजगढ़	दंगवाड़ा	27°15'29.0"	76°33'00.3"
26	अलवर	राजगढ़	लोसाल गुरजारान	27°14'51.2"	76°28'34.1"
27	अलवर	राजगढ़	नंदु	27°15'51.6"	76°28'39.2"
28	अलवर	राजगढ़	मुरलीपुरा	27°15'39.1"	76°28'04.5"
29	अलवर	राजगढ़	चावा का बास (नेथरा)	27°15'54.3"	76°27'35.4"
30	अलवर	राजगढ़	घेवर	27°15'31.8"	76°26'53.4"
31	अलवर	राजगढ़	राजदोली	27°14'53.8"	76°25'54.0"
32	अलवर	राजगढ़	खरीयाबास	27°14'01.8"	76°26'03.7"
33	अलवर	राजगढ़	तेहला	27°14'42.2"	76°24'55.3"
34	अलवर	राजगढ़	नदोली	27°16'33.5"	76°24'54.0"
35	अलवर	राजगढ़	कोथरी रामपुरा	27°14'19.7"	76°23'41.8"
36	अलवर	राजगढ़	मल्लाना	27°12'35.0"	76°25'13.2"
37	अलवर	राजगढ़	गोवर्धनपुरा	27°11'51.3"	76°25'42.5"
38	अलवर	राजगढ़	काकराली रामपुर	27°11'21.1" 27°10'55.9"	76°25'03.8" 76°25'45.3"
39	अलवर	राजगढ़	घतरा	27°08'24.8"	76°24'11.0"
40	अलवर	राजगढ़	पालपुर	27°11'56.5"	76°24'09.2"
41	अलवर	राजगढ़	तिलवार	27°12'31.8"	76°24'18.9"
42	अलवर	राजगढ़	तिलवाडी	27°12'37.4"	76°23'21.6"
43	अलवर	राजगढ़	सक्काला के साथ कालवाड	27°11'21.3"	76°22'39.0"
44	अलवर	राजगढ़	बेरवा डुंगरी	27°07'31.1"	76°21'47.0"
45	अलवर	राजगढ़	बलदेवगढ़	27°07'38.6"	76°22'49.1"

46	अलवर	राजगढ़	खिरात का बास (बुरजा)	27°07'54.1"	76°18'00.4"
47	अलवर	राजगढ़	तोडी का बास	27°07'13.9"	76°18'24.5"
48	अलवर	राजगढ़	भानगढ़	27°05'36.2"	76°18'30.3"
49	अलवर	थानागाजी	तोडी निजरान	27°20'43.0"	76°19'32.0"
50	अलवर	थानागाजी	तोलावास	27°29'11.0"	76°20'33.0"
51	अलवर	थानागाजी	समरा	27°07'36.0"	76°16'08.0"
52	अलवर	थानागाजी	अजबगढ़	27°11'07.2"	76°17'14.6"
53	अलवर	थानागाजी	गुवाडा बिराकडी	27°10'35.3"	76°18'19.9"
54	अलवर	थानागाजी	गुवाडा सोटी	27°10'57.9"	76°18'25.5"
55	अलवर	थानागाजी	गुवाडा गुगली	27°10'21.0"	76°18'48.2"
56	अलवर	थानागाजी	गुवाडा राडी	27°10'22.4"	76°19'01.1"
57	अलवर	थानागाजी	गुवाडा इसहवा	27°10'39.7"	76°18'55.7"
58	अलवर	थानागाजी	गुवाडा हार	27°11'25.8"	76°18'42.8"
59	अलवर	थानागाजी	गुवाडा जनावेत	27°11'38.3"	76°18'41.4"
60	अलवर	थानागाजी	गुवाडा रामजी	27°10'54.1"	76°19'05.0"
61	अलवर	थानागाजी	गुवाडा कालोट	27°11'51.1"	76°18'41.8"
62	अलवर	थानागाजी	गुवाडा डाबर	27°12'29.7"	76°18'27.6"
63	अलवर	थानागाजी	गुवाडा घासी	27°12'22.6"	76°18'32.3"
64	अलवर	थानागाजी	गुवाडा लाला भईया	27°12'27.2"	76°18'29.3"
65	अलवर	थानागाजी	गुवाडा भगवान	27°11'42.8"	76°18'42.6"
66	अलवर	थानागाजी	सिलिबावडी	27°13'31.3"	76°18'23.7"
67	अलवर	थानागाजी	भुरयाली	27°11'40.6"	76°17'41.0"
68	अलवर	थानागाजी	नंदोली	27°13'07.9"	76°17'07.7"
69	अलवर	थानागाजी	गुवाडा जमिदार	27°11'14.5"	76°18'40.6"
70	अलवर	थानागाजी	मोरदी	27°13'39.8"	76°15'27.4"
71	अलवर	थानागाजी	कालापारा	27°12'45.9"	76°15'32.9"
72	अलवर	थानागाजी	पिपलाई	27°12'56.9"	76°14'48.1"
73	अलवर	थानागाजी	निरमा	27°10'41.6"	76°19'09.0"
74	अलवर	थानागाजी	भदना की बाल	27°27'52.8"	76°20'35.7"
75	अलवर	थानागाजी	गोपालपुरा	27°16'05.6"	76°18'36.4"
76	अलवर	थानागाजी	राईपुरा	27°18'48.9"	76°18'47.1"
77	अलवर	थानागाजी	सयाम्पुरा	27°18'55.1"	76°17'02.3"
78	अलवर	थानागाजी	तोडी लुहरान	27°21'18.7"	76°18'16.4"
79	अलवर	थानागाजी	अमरा का बास	27°22'52.1"	76°19'42.8"
80	अलवर	थानागाजी	कालाखोरा	27°27'21.3"	76°20'31.6"

81	अलवर	थानागाजी	बाड गुरजाराण	27°27'38.0"	76°19'02.9"
82	अलवर	थानागाजी	मुंदावारा	27°31'18.9"	76°21'39.9"
83	अलवर	थानागाजी	मनावस	27°31'03.0"	76°23'53.0"
84	अलवर	थानागाजी	खेरखेडी कलान	27°34'28.0"	76°22'11.5"
85	अलवर	थानागाजी	कानपुरा लोज	27°32'22.2"	76°24'40.8"
86	अलवर	थानागाजी	गुवाडा कुंडाल	27°10'13.4"	76°17'24.1"
87	अलवर	थानागाजी	गुवाडा वयास	27°11'06.5"	76°18'38.8"
88	अलवर	थानागाजी	दुहारमाला	27°25'38.1"	76°20'52.7"
89	अलवर	थानागाजी	गुवाडा हनुमान	27°12'04.4"	76°18'33.7"
90	अलवर	थानागाजी	गुवाडा सयाब	27°12'00.4"	76°18'34.2"
91	अलवर	बनसुर	चिंद	27°40'15.4"	76°29'13.0"
92	अलवर	बनसुर	बिलाहाट	27°35'50.7"	76°21'20.6"
93	अलवर	बनसुर	बसना	27°36'19.1"	76°21'29.2"
94	अलवर	बनसुर	बिशलु	27°37'09.5"	76°21'55.6"
95	अलवर	बनसुर	लेकरी	27°38'03.2"	76°23'50.7"
96	अलवर	बनसुर	कतरइअ का बास	27°42'20.4"	76°27'40.9"
97	अलवर	बनसुर	घाट	27°39'27.2"	76°24'21.3"
98	अलवर	बनसुर	मुंडाली	27°40'40.2"	76°25'02.3"
99	अलवर	बनसुर	भेराम का बास	27°39'43.6"	76°24'54.7"
100	अलवर	बनसुर	रामपुर	27°37'51.6"	76°24'51.8"
101	अलवर	बनसुर	अशा का बास	27°37'03.9"	76°25'39.5"
102	अलवर	बनसुर	गुधा (भंकरवाल)	27°37'05.8"	76°25'50.9"
103	अलवर	बनसुर	कलयानपुरा	27°37'06.2"	76°26'51.8"
104	अलवर	बनसुर	कालीफारी	27°38'32.9"	76°26'05.9"
105	अलवर	बनसुर	मंगालवा	27°39'21.1"	76°25'58.4"
106	अलवर	बनसुर	हाजीपुर	27°41'18.9"	76°26'54.6"
107	अलवर	बनसुर	हमीरपुर	27°42'24.9"	76°28'46.1"
108	अलवर	बनसुर	धमला का बास	27°38'45.9"	76°27'35.4"
109	अलवर	बनसुर	लोज नथुसार	27°33'05.0"	76°25'36.9"
110	जयपुर	जमवा रामगढ़	गुवाडा	27°4'44.1"	76°13'01.4"
111	जयपुर	जमवा रामगढ़	संघपुरी	27°5'06.4"	76°13'37.7"
112	जयपुर	जमवा रामगढ़	किल्लातपुरी	27°6'02.9"	76°14'10.3"
113	जयपुर	जमवा रामगढ़	निमला	27°4'43.0"	76°15'05.2"
114	जयपुर	जमवा रामगढ़	श्रीरामगोपालपुरा	27°5'04.1"	76°16'07.8"
115	जयपुर	जमवा रामगढ़	रामियावाला	27°3'49.2"	76°15'42.4"
116	जयपुर	जमवा रामगढ़	नेतावाल	27°4'06.3"	76°15'35.1"

अनुलग्नक-V

की गई कार्रवाई - सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2021

S.O. 1049 (E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sariska Tiger Reserve spreads over an area of 1213.34 square kilometer and is situated in the Thanagazi, Rajgarh, Alwar, Bansur & Malakhara Tehsils of Alwar district in the state of Rajasthan;

AND WHEREAS, the Sariska Wildlife Sanctuary was notified by Government of Rajasthan *vide* notification no. f.39(2) Rev.A/54 dated 5th August 1958 and Sariska National Park was notified by Government of Rajasthan *vide* notification no. f 11(22) raj-8/78 dated 27th August 1982. The Critical Tiger Habitat of Sariska Tiger Reserve was notified by State Government *vide* notification no. F3(34) Forest/2007 dated 28th December 2007 over an area of 881.11 square kilometers. The buffer area of 332.23 square kilometers was notified by notification No. F3(34) forest/2007 dated 06th July 2012;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve with its unique biodiversity and undulating terrain provides habitat for the tropical dry deciduous species, dry thorn species and several other species of flora and fauna therein;

AND WHEREAS, the Sariska Tiger Reserve is unique as it is a part of Aravalli hill ranges having one of the densest forests in the state;

AND WHEREAS, the Sariska Tiger Reserve is also one of the richest protected areas from the point of biodiversity. Nearly 20 species of mammals, 11 species of reptiles, 2 species of amphibians, 374 species of birds and 420 species of plants have been identified from the area. Some of the endemic and threatened species of flora and fauna present in the Sariska Tiger Reserve are dhok (*Anogeissus pendula*), salar (*Boswellia serrata*), katha (*Acacia catechu*), dhak (*Butea monosperma*), ber (*Zizphus jujuba*, *Z. mauritiana*), churel (*Holoptelia intergrifolia*), awanla (*Embellica officinalis*), gugal (*Commiphora mukul*), tendu (*Dispyros melanoxylon*), karaya (*Sterculia urens*), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), hyena (*Hyaene hyaena*), jungle cat (*Felis chaus*), porcupine (*Hystrix indica*), small Indian civet (*Viverricula indica*), sambhar (*Cervus unicolor*), chital (*Axis axis*), caracal (*Felis caracal*) and wild boar (*Sus scrofa*) etc;

AND WHEREAS, the major vegetation present in the area includes gurjan (*Linnea gradis Syn.L.coromandellica*), amaltas (*Cassia fistula*), binna (*Hesperathusa cranulata*), goya khair (*Dichrostachya cineria*), khair (*Acacia catechu*), saijna (*Maringa Pterygosperma*), rohan (*Soymida febrifuga*), mokha (*Scherebra swetenoides*), rohini (*Mallatus philipinensis*), jamun (*Syzyguim cumini*), gular (*Ficus glomerata*), kadam (*Mitragyna parvifolia*), bahira (*Terminalia bellerica*), dhaora (*Anogeissus latifolia*), kahjur (*Phoenix sylvestris*), hingot (*Balanites aegyptica*), sevan (*Gmelia arborea*), arjun (*Terminalia arjuna*), neem (*Azadirachta indica*), peepal (*Ficus religiosa*), bargad (*Ficus benghalensis*), shisham (*Dalbergia sisso*), bijasal (*Pterocarpus marsupium*), kakon (*Flacourita indica*), kharini (*Wrightia tinctoria*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), jhinjha (*Bauhinia recemosa*), casaeria (*Casaeria tomentosa*), barna (*Crataeva relegiosa*), bel (*Aegle marmelose*), ronj (*Acacia leucophloea*), lisora (*Cordia myxa*), imli (*Tamarindus indica*), kaith (*Limonia acidissima*), siris (*Albizzia lebbek*), semal (*Bombax ceiba*), celastrus (*Celastrus paniculatus*) etc;

AND WHEREAS, the other faunal species in the protected area are common langur or Hanuman langur (*Presbytis entellus*), common yellow bat (*Scotophilus heathis*), five striped plam squirrel (*Funambulus pennant*), house mouse (*Mus musculus*), house rat (*Rattus rattus*), Indian gerbille (*Tetera indica*), Indian mole-rat (*Bandicota bengalensis*), Indian porcupine (*Hystrix indica*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), blue bull or nilgai (*Boselaphus tragocamelus*), long eared hedgehog (*Hemiechinus auritus*), rufous tailed hare (*Lepes nigricollis rufieaudatus*), small Indian mongoose (*Nerpestes edwardsi*), spotted deer or chital (*Axis axis*) etc;

AND WHEREAS, the major avi-faunal species present in the park are little grebe (Dabchick) (*Tachybaptus ruficollis*), great crested grebe (*Podiceps cristatus*), great white pelican (*Pelecanus onocrotalus*), spot-billed pelican (*Pelecanus philippensis*), dalmatian pelican (*Pelecanus crispus*), black bittern (*Dupetor flavicollis*), greater adjutant stork (*Leptoptilos dubius*), woolly-necked stork (*Ciconia episcopus*), Eurasian spoonbill (*Platalea leucorodia*), greater flamingo (*Phoenicopterus ruber*), cotton pygmy-goose (*Nettapus coromandelianus*), gadwall (*Anas strepera*), pheasant-tailed jacana (*Hydrophasianus chirurgus*), greater painted-snipe (*Rostratula benghalensis*), Eurasian woodcock (*Scolopax rusticola*), pintail snipe (*Gallinago stenura*), Indian skimmer (*Rynchops albicollis*), drongo cuckoo (*Surniculus lugubris*), spotted owlet (*Athene brama*), large-tailed nightjar (*Caprimulgus macrurus*), black-capped kingfisher (*Halcyon pileata*), Eurasian skylark (*Alauda arvensis*), scarlet minivet (*Pericrocotus flammeus*), verditer flycatcher (*Eumyias thalassina*), red-headed bunting (*Emberiza bruniceps*), black-headed oriole (*Oriolus xanthornus*) etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary, as of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Sariska Tiger Reserve as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central

Government hereby notifies the area to an extent of 0 (zero) kilometres to 1 kilometres around the boundary of Sariska Tiger Reserve in Alwar district in the state of Rajasthan as the Sariska Tiger Reserve, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-sensitive Zone varies from **0 (zero) kilometres to 1 kilometre** around the Sariska Tiger Reserve. The area of Eco-sensitive Zone is **207.77 square kilometres**.

Extent of Eco-sensitive zone in different directions (kilometres) as given below:-

DIRECTION	EXTENT
North	uniformly 1 kilometer
North-East	uniformly 0
East	0 to 1 kilometers
South-East	0 to 1 kilometers
South	100 meter to 1 kilometers
South-West	0 meter to 1 kilometers
West	100 meter to 1 kilometers
North-West	uniformly 1 kilometer

As per the information provided by the state government, in North-East direction, the buffer area of Tiger Reserve is more than 1 kilometer and Alwar city exists adjacent to forest boundary line. Therefore, ESZ extent is zero in North-East direction. The state forest department has also informed that ESZ extent is zero in South-West direction due to the demand of the local stakeholders.

- (2) The boundary description of Sariska Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I**.
 - (3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A, Annexure-II B, Annexure-II C and Annexure-II D**.
 - (4) The geo-coordinates of Sariska Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority in the State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest and Wildlife,
 - (iii) Rural Development,
 - (iv) Urban Development,
 - (v) Tourism,

- (vi) Municipal,
- (vii) Revenue,
- (viii) Agriculture,
- (ix) Irrigation and Flood Control,
- (x) Panchayati Raj,
- (xi) Rajasthan State Pollution Control Board,
- (xii) Public Works Department.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) Promoted activities given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.
- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
 - (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with the Union Territory Departments of Environment and Forests.
 - (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
 - (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
 - (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**—Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder.

- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-
- a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
 - b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** - Bio medical waste management shall be as under:
- a. The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
 - b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.** - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.** - The construction and demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.** - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out with in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel.
- (16) **Industrial units.** -
- (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.
 - (b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Board in February 2016, as amended from time

to time, unless so specified in this notification, and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) **Protection of hill slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 4 th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted. Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.
9.	Commercial use of firewood	Prohibited.
10.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable. Fencing of existing premises of hotels and lodges is regulated as per the applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with

		the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification: For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.N.	Constituent Of The Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Alwar	Chairman;
2.	District level officers of town planning, Alwar	Member;
3.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
4.	Honorary Wild Life Warden	Member;
5.	Pradhan Panchayat Samiti Umrain\Rajgarh\Bansur/Thanagazi/Jamwa Ramgarh (for respective area)	Member;
6.	One representative of non-government organization working in the field of environment to be nominated by the State Government.	Member;
7.	One representative of Rajasthan State Biodiversity Board	Member;
8.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government	Member;
9.	Sub Divisional Officer Thanagazi/Rajgarh/Alwar/Bansur/ Alwar District/ Jamwa Ramgarh District Jaipur (for respective area)	Member;
10.	Deputy Conservator of Forests, Alwar	Member;
11.	Deputy Conservator of Forests, Sariska Tiger Reserve	Member- Secretary.

6. Terms of Reference. –

- (1) The Monitoring Committee shall monitor compliance of the provisions of this notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/2/2021-ESZ]

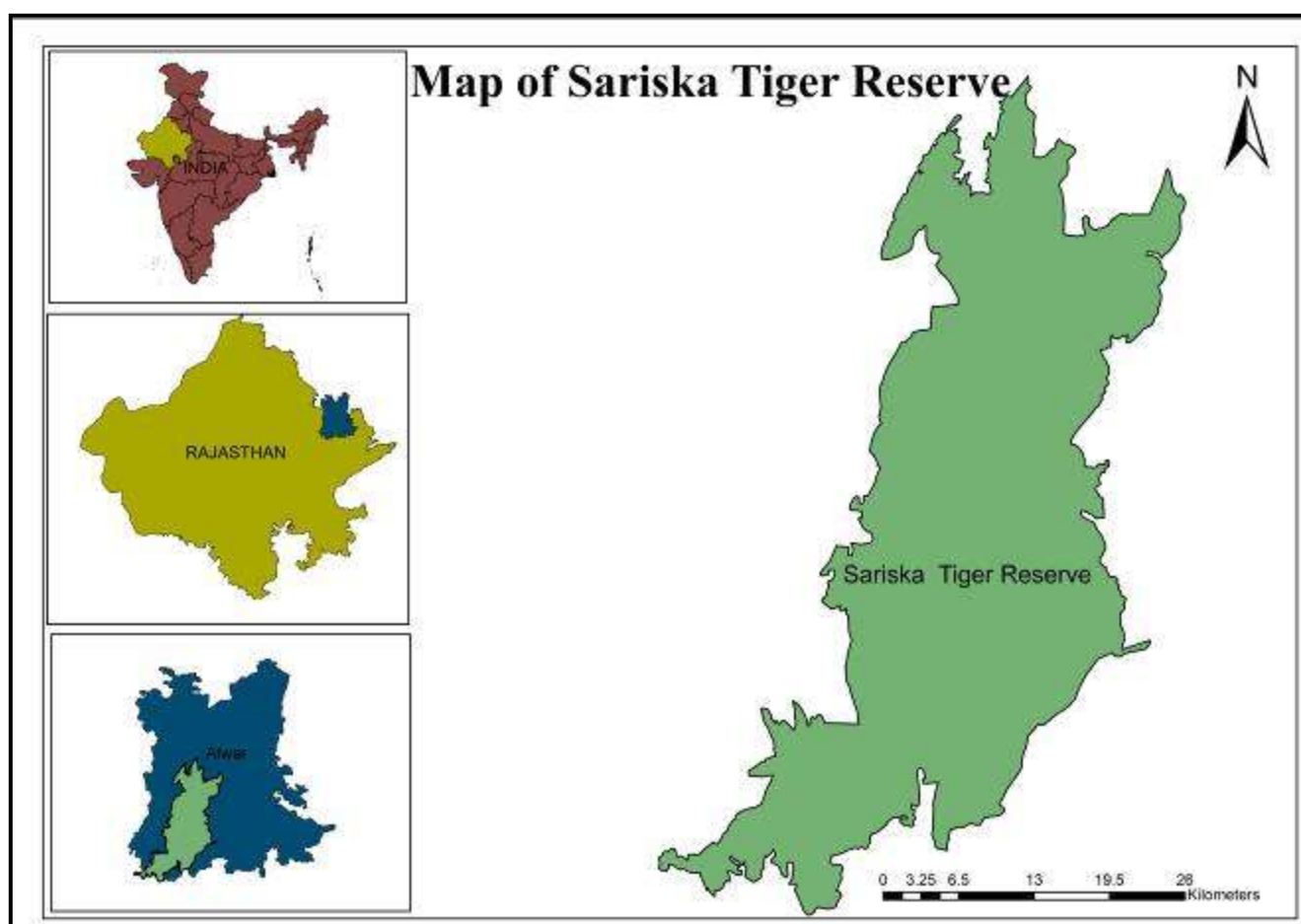
Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

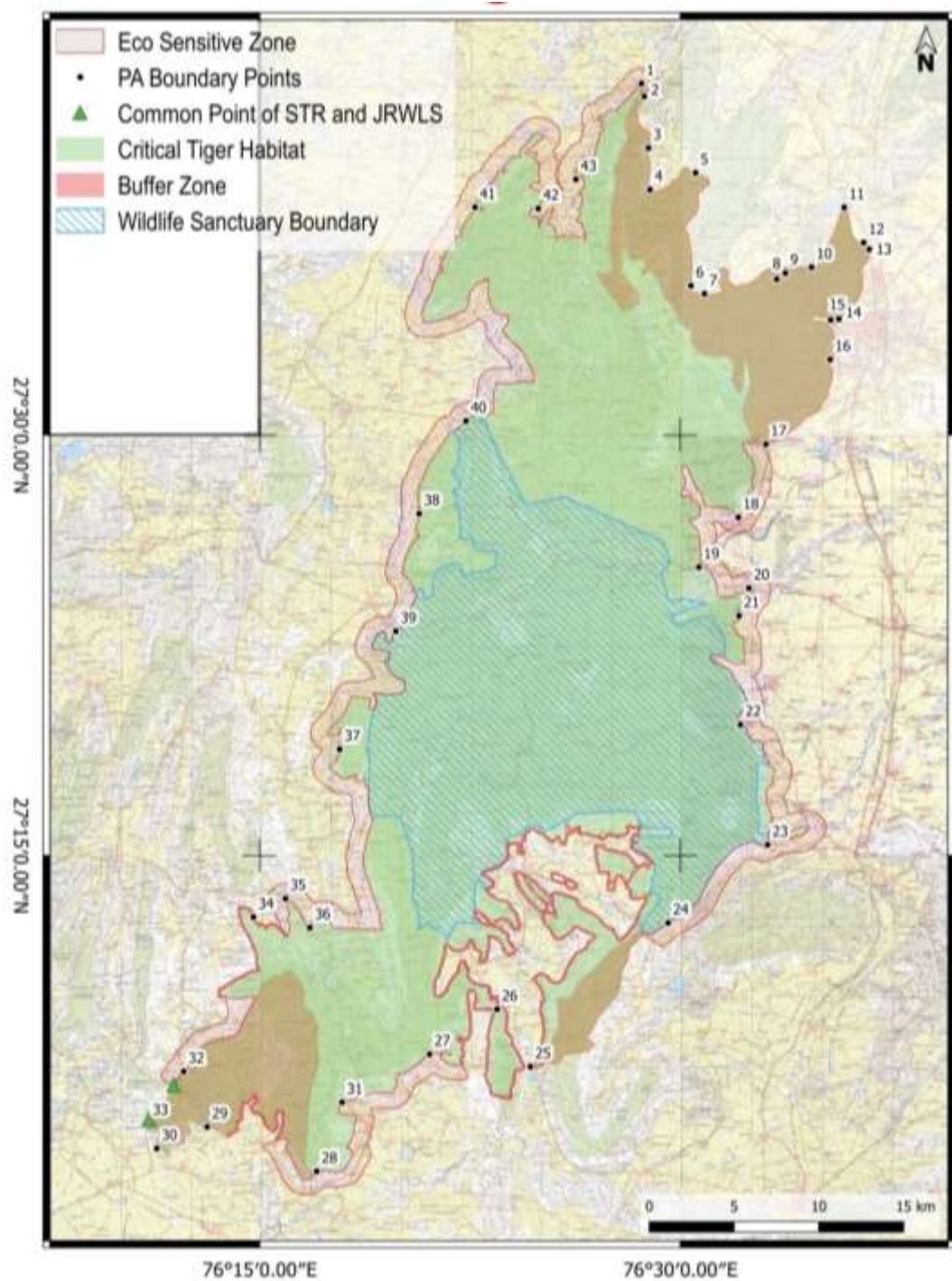
ANNEXURE- I

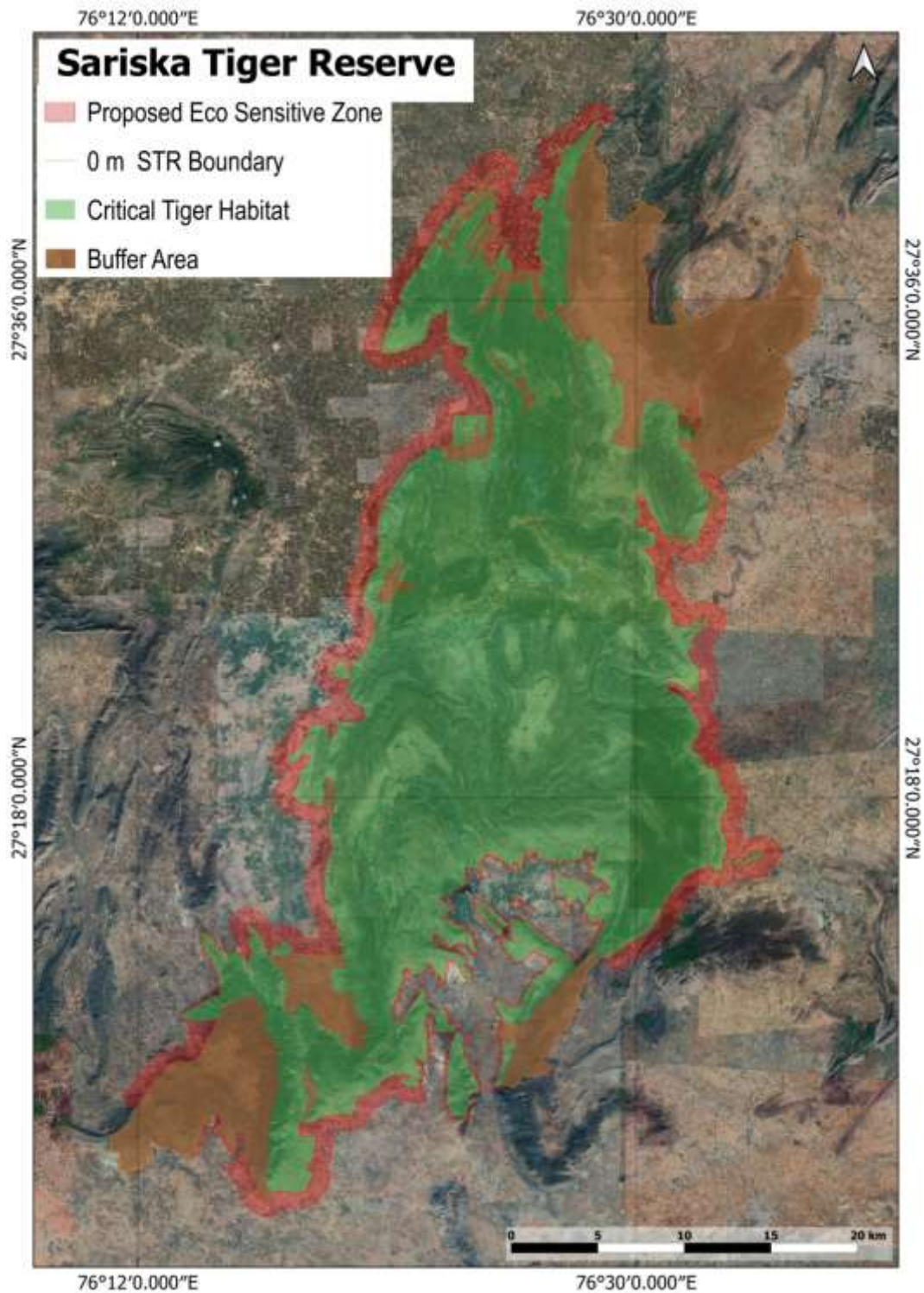
BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE SARISKA TIGER RESERVE

Sl.NO.	DIRECTIONS	DESCRIPTION
1.	NORTH	From outer forest boundary of PF forest block Hazipur, Mundli, Ghat, Rampur I, II, III, IV and RF forest block Rampur upto 1000 meters
2.	NORTH-EAST	From outer forest boundary of PF forest block Jatjana, Hamirpur (compartment no. 1 to 5), Todiya, Dholidhub, Ballaboda and outer forest boundary of RF forest block (within forest/revenue buffer area of STR boundary) is Zero meters
3.	EAST	Forest boundary of RF forest block Nidani, Bhakeda and PF forest block Badhkesharpur, Bhakera, Umrain (within forest/revenue buffer area of STR boundary) is Zero meters and from outer boundary of PF forest block Sawdi, Dhawala, Gopalpura, Dharampura, Prathvipura and RF forest block Siliberi, Umri Deori upto 1000 meters
4.	SOUTH-EAST	From the outer forest boundaries of RF forest block Nandu upto 1000 meters and RF forest block Bigota (within forest buffer area of STR boundary) is Zero meters.
5.	SOUTH	From outer boundaries of Forest Blocks Choti Cheend (RF), Mallana 'A' (PF), Mallana Main (PF), Jaisinghpura, Baldevgarh, Tilwad Main (PF), Kalwad (PF), Tilwad A, B & C (PF), Dabkan (PF), Dabkan (RF), Bhagani (RF), Tehla (PF), Nandu Main (PF), Nandu A to L (PF), Khariyawas (PF), Tehla Main (PF) upto 100 meters and from outer boundary of PF block Berwa dungri, Dhiroda, Bhangarh upto 1000 meters

6.	SOUTH-WEST	From outer forest boundaries of the South West corner of Bhangarh RF forest block to Pillar No. 276 of Digota RF forest block(part of Jamwa Ramgarh Wildlife Sanctuary) upto 1000 meters and Pillar no. 276 of Digota (RF) forest block to South East point of forest boundary along village Rayawala upto 100 meters and from this point (South East point of forest boundary along village Rayawala) to Pillar no. 425 of Digota (RF) forest block is Zero meters
7.	WEST	From common point of STR-JRWLS to outer forest of piplai 'A' up to 1000 km. From the outer forest boundary of PF forest block Piplai 'A' and Piplai main upto 100 meters and from outer forest boundary of RF forest block Silibawdi, Jodhavas with Rajore, Todinijran, Bani talvriksh and PF forest block Ajabgarh, Raipura, Shyampura, Amrakabas, Thanagazi, Bhudiyavas, Tolavas upto 1000 meters
8.	NORTH-WEST	From outer forest boundary of RF forest block Rampur and PF forest block Manavas, Bilahat, Bishalu, Lekri, Todiya ka bas upto 1000 meters

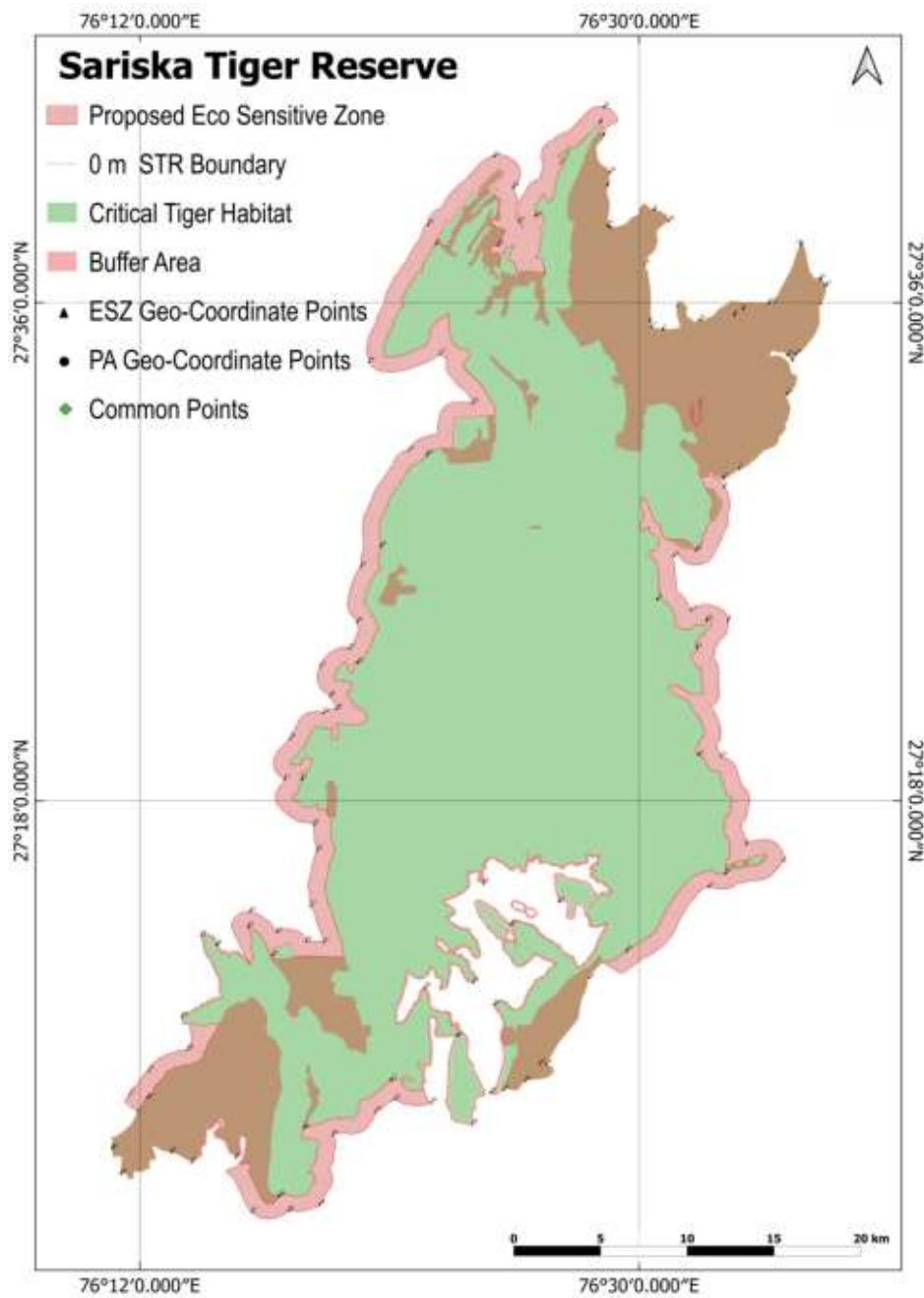
ANNEXURE- IIA**LOCATION MAP OF SARISKA TIGER RESERVE, RAJASTHAN**

ANNEXURE- II B**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SARISKA TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**

ANNEXURE- IIC**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SARISKA TIGER RESERVE**

ANNEXURE- IID

**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SARISKA TIGER RESERVE
ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE-III**TABLE A: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF SARISKA TIGER RESERVE**

Sr. No.	Identification of Prominent Points	Type	Latitude			Longitude		
			DD	MM	SS	DD	MM	SS
1	Hamirpur Road Cross Section	Road	27	42	32.955	76	28	36.84
2	Hamirpur Johad	Waterbody	27	42	5.283	76	28	42.96
3	Meda Adhira Road	Road	27	40	14.856	76	28	51.96
4	Bujha Nadi	River	27	38	45.781	76	28	55.2
5	Hilltop Toposheet 589	Hill	27	39	21.746	76	30	32.76
6	Hilltop Toposheet 584	Hill	27	35	20.231	76	30	23.04
7	Sirawas to Dhamlakabas	Kacchha Road	27	35	2.736	76	30	51.84
8	Hilltop Toposheet 578	hill	27	35	33.975	76	33	26.28
9	Hajipur Road	Road	27	35	47.193	76	33	45
10	Mach ka Tirahya	Road	27	35	59.678	76	34	40.8
11	Kadu ki Dam(South east corner)	Dam	27	38	7.595	76	35	50.64
12	Chursidh Mandir	Temple	27	36	52.411	76	36	32.4
13	Alwar-Behroad SH	Road	27	36	38.204	76	36	44.28
14	Sagar(Behind Coletorate Alwar	Waterbody	27	34	8.914	76	35	39.48
15	Pratapbandh Pal	Waterbody	27	34	6.832	76	35	21.84
16	Hanuman Mandir Sadak & Canal	Road	27	32	42.178	76	35	20.76
17	Siliseth Tirahya SH	Road	27	29	40.765	76	33	3.24
18	Akbarpur Johad	Waterbody	27	27	4.185	76	32	4.2
19	Barabeer (Ruparel Nadi)	Road	27	25	17.472	76	30	39.6
20	Navli Mandir	Temple	27	24	32.730	76	32	26.88
21	Khataka Johad	Waterbody	27	23	33.240	76	32	5.64
22	Siliberi Nadi(Bhattawala)	River	27	19	40.439	76	32	8.88
23	Sukhri Nadi(Ramsara)	River	27	15	23.298	76	33	6.84
24	Kundla Tirahya & Johad	Road	27	12	36.045	76	29	34.08
25	Radiya Banda	Waterbody	27	7	28.051	76	24	39.24
26	Copper Mine Pits (Kho Dariba)	Mine	27	9	31.285	76	23	27.96
27	Burja tirahya(Alwar)	Road	27	7	54.863	76	21	3.6
28	District Boundary(Alwar-Dausa-Jaipur)	Road	27	3	44.100	76	17	2.04
29	Rayawala Banda	Dam	27	5	19.40	76	13	7.58
30	Andhi Marble Quaru	Industry	27	4	33.25	76	11	19.72
31	Sarsa Mata Nadi	River	27	6	11.867	76	17	56.4

32	Natata Dausa Road	Road	27	7	17.869	76	12	17.28
33	Forester Naka (Sankotra)	Chauki	27	5	27.133	76	11	0.6
34	Piplai Mandir	Temple	27	12	48.528	76	14	46.68
35	Mordi Ka Ghata	Road	27	13	28.298	76	15	55.08
36	Sidh ka Tibarah	Road	27	12	26.157	76	16	47.64
37	Udainath Palace	Tourist Place	27	18	47.680	76	17	51
38	Kalakhora Mandir	Temple	27	27	12.113	76	20	41.28
39	SH Alwar-Jaipur	Road	27	23	0.569	76	19	51.24
40	Talvriksh Road	Road	27	30	30.605	76	22	21.36
41	Lekari	Village	27	38	8.047	76	22	40.8
42	Rampur Temple	Temple	27	38	5.328	76	24	56.16
43	Mangalwa Johad	Waterbody	27	39	7.719	76	26	16.8

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sr.No.	Latitude			Longitude		
	DD	MM	SS	DD	MM	SS
1	27	35	58.51	76	36	32.63
2	27	38	7	76	35	51.04
3	27	33	55.65	76	35	31.73
4	27	15	51.3	76	35	13.48
5	27	36	2.57	76	34	53.73
6	27	16	27.54	76	33	52.07
7	27	30	1.53	76	33	36.87
8	27	24	32.16	76	33	12.79
9	27	29	21.19	76	33	4.2
10	27	19	36.9	76	32	57.35
11	27	14	54.71	76	32	31.19
12	27	35	23.78	76	32	11.1
13	27	24	54.07	76	31	52.84
14	27	35	53.91	76	31	23.01
15	27	26	51.41	76	31	16.38
16	27	38	58.48	76	31	5.08
17	27	35	9.12	76	30	26
18	27	37	23.09	76	30	11.37
19	27	40	43.62	76	28	57.28

20	27	38	48.78	76	28	51.73
21	27	43	4.55	76	28	45.19
22	27	11	37.18	76	28	12.5
23	27	14	22.74	76	27	7.22
24	27	8	30.07	76	26	40.03
25	27	8	30.07	76	26	25.28
26	27	7	53.84	76	25	54.07
27	27	38	56.35	76	25	40.98
28	27	40	10.74	76	25	27.86
29	27	13	32.84	76	25	23.33
30	27	7	34.48	76	25	6.82
31	27	41	18.15	76	24	47.01
32	27	10	39.08	76	24	46.37
33	27	15	1.72	76	24	24.01
34	27	11	27.83	76	24	1.85
35	27	32	22.95	76	24	1.32
36	27	6	20.82	76	23	59.56
37	27	34	9.62	76	22	49.36
38	27	7	6.57	76	22	30.42
39	27	38	50.55	76	22	24.56
40	27	11	16.59	76	22	17.38
41	27	30	40.78	76	21	42.12
42	27	7	14.28	76	21	12.23
43	27	6	47.22	76	20	30.66
44	27	33	52.54	76	20	16.36
45	27	26	28.97	76	19	58.41
46	27	24	28.57	76	19	50.75
47	27	23	31.11	76	19	33.23
48	27	21	20.03	76	19	6.66
49	27	5	56.82	76	18	57.03
50	27	21	48.03	76	18	51.54
51	27	12	54.96	76	18	38.71
52	27	21	11.44	76	18	37.4
53	27	22	52.38	76	18	30.65
54	27	3	25.15	76	18	29.5
55	27	16	14.25	76	18	23.83
56	27	17	9.5	76	18	16.43

57	27	14	13.47	76	18	9.6
58	27	12	55.96	76	17	59.98
59	27	20	15.37	76	17	25.16
60	27	3	12.5	76	17	22.12
61	27	18	47.85	76	17	13.27
62	27	13	16.56	76	16	57.14
63	27	3	10.35	76	16	2.45
64	27	14	0.65	76	15	58.34
65	27	5	8.03	76	15	28.63
66	27	13	9.25	76	14	13.46
67	27	4	57.86	76	13	51.68
68	27	9	1.79	76	13	44.34
69	27	10	13	76	13	31.22
70	27	8	16.92	76	12	19.87
71	27	7	25.69	76	11	38.53

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGE WITH AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SARISKA
TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sr.No.	District	Tehsil	Name of Village	Latitude	Longitude
1	Alwar	Alwar	Siravas	27°36'25.6"	76°27'55.2"
			Sudarvas	27°35'20.1"	76°28'09.9"
			Badrinagar	27°35'23.5"	76°28'55.8"
2	Alwar	Alwar	Dhelavas	27°33'10.8"	76°29'22.0"
3	Alwar	Alwar	Binak	27°30'56.0"	76°29'09.3"
4	Alwar	Alwar	Bhakatpura	27°32'24.5"	76°30'24.3"
5	Alwar	Alwar	Kishanpur	27°31'48.2"	76°31'21.8"
6	Alwar	Alwar	Paithpur	27°30'54.1"	76°31'27.5"
7	Alwar	Alwar	Sawdi	27°28'38.0"	76°32'53.6"
8	Alwar	Alwar	Dhawala	27°27'38.2"	76°32'14.4"
9	Alwar	Alwar	Akbarpur	27°26'50.6"	76°31'47.6"
10	Alwar	Alwar	Kalikhhol	27°28'40.6"	76°30'06.4"
11	Alwar	Alwar	Gopalpura	27°26'55.4"	76°30'52.0"
12	Alwar	Alwar	Dharampura	27°25'56.2"	76°30'42.6"
13	Alwar	Alwar	Doba	27°32'11.1"	76°31'54.2"
			Ringaspuri	27°32'27.2"	76°31'26.3"
14	Alwar	Alwar	Ramnagar	27°33'59.7"	76°29'23.8"
15	Alwar	Alwar	Rogda	27°34'28.2"	76°29'30.9"

16	Alwar	Alwar	Shyodanpura	27°30'02.84"	76°32'45.63"
17	Alwar	Malakhera	Prathvipura	27°23'13.63"	76°33'09.21"
18	Alwar	Malakhera	Parsakabas	27°24'59.9"	76°31'58.5"
19	Alwar	Malakhera	Nirbhyapura	27°25'20.5"	76°31'09.7"
20	Alwar	Malakhera	Chandphari	27°25'12.2"	76°31'44.9"
21	Alwar	Malakhera	Siya kabas	27°24'35.2"	76°31'57.3"
22	Alwar	Malakhera	Imptipura (Khataka)	27°23'42.1"	76°32'13.9"
23	Alwar	Malakhera	Bhatyala	27°19'33.5"	76°31'53.1"
24	Alwar	Rajgarh	Pawta	27°07'42.91"	76°21'07.12"
25	Alwar	Rajgarh	Dangarvada	27°15'29.0"	76°33'00.3"
26	Alwar	Rajgarh	Losal gurjaran	27°14'51.2"	76°28'34.1"
27	Alwar	Rajgarh	Nandu	27°15'51.6"	76°28'39.2"
28	Alwar	Rajgarh	Murlipura	27°15'39.1"	76°28'04.5"
29	Alwar	Rajgarh	Chawa ka bas (with Nathra)	27°15'54.3"	76°27'35.4"
30	Alwar	Rajgarh	Ghewar	27°15'31.8"	76°26'53.4"
31	Alwar	Rajgarh	Rajdoli	27°14'53.8"	76°25'54.0"
32	Alwar	Rajgarh	Khariyabas	27°14'01.8"	76°26'03.7"
33	Alwar	Rajgarh	Tehla	27°14'42.2"	76°24'55.3"
34	Alwar	Rajgarh	Nadoli	27°16'33.5"	76°24'54.0"
35	Alwar	Rajgarh	Kothri Rampura	27°14'19.7"	76°23'41.8"
36	Alwar	Rajgarh	Mallana	27°12'35.0"	76°25'13.2"
37	Alwar	Rajgarh	Goverdhanpura	27°11'51.3"	76°25'42.5"
38	Alwar	Rajgarh	Kakrali Rampura	27°11'21.1" 27°10'55.9"	76°25'03.8" 76°25'45.3"
39	Alwar	Rajgarh	Ghatra	27°08'24.8"	76°24'11.0"
40	Alwar	Rajgarh	Palpur	27°11'56.5"	76°24'09.2"
41	Alwar	Rajgarh	Tilwar	27°12'31.8"	76°24'18.9"
42	Alwar	Rajgarh	Tilvadi	27°12'37.4"	76°23'21.6"
43	Alwar	Rajgarh	Kalwad with Sakkala	27°11'21.3"	76°22'39.0"
44	Alwar	Rajgarh	Berwa Dungri	27°07'31.1"	76°21'47.0"
45	Alwar	Rajgarh	Baldevgarh	27°07'38.6"	76°22'49.1"
46	Alwar	Rajgarh	Khirat ka bas (Burja)	27°07'54.1"	76°18'00.4"
47	Alwar	Rajgarh	Todi ka bas	27°07'13.9"	76°18'24.5"
48	Alwar	Rajgarh	Bhangarh	27°05'36.2"	76°18'30.3"
49	Alwar	Thanagazi	Todi Nijran	27°20'43.0"	76°19'32.0"
50	Alwar	Thanagazi	Tolavas	27°29'11.0"	76°20'33.0"

51	Alwar	Thanagazi	Samra	27°07'36.0"	76°16'08.0"
52	Alwar	Thanagazi	Ajabgarh	27°11'07.2"	76°17'14.6"
53	Alwar	Thanagazi	Guwada Birakdi	27°10'35.3"	76°18'19.9"
54	Alwar	Thanagazi	Guwada Soti	27°10'57.9"	76°18'25.5"
55	Alwar	Thanagazi	Guwada Gugli	27°10'21.0"	76°18'48.2"
56	Alwar	Thanagazi	Guwada Radi	27°10'22.4"	76°19'01.1"
57	Alwar	Thanagazi	Guwada Leshva	27°10'39.7"	76°18'55.7"
58	Alwar	Thanagazi	Guwada Haar	27°11'25.8"	76°18'42.8"
59	Alwar	Thanagazi	Guwada Janavat	27°11'38.3"	76°18'41.4"
60	Alwar	Thanagazi	Guwada Ramji	27°10'54.1"	76°19'05.0"
61	Alwar	Thanagazi	Guwada Kalot	27°11'51.1"	76°18'41.8"
62	Alwar	Thanagazi	Guwada Dabar	27°12'29.7"	76°18'27.6"
63	Alwar	Thanagazi	Guwada Ghasi	27°12'22.6"	76°18'32.3"
64	Alwar	Thanagazi	Guwada Lala bhaiya	27°12'27.2"	76°18'29.3"
65	Alwar	Thanagazi	Guwada Bhagwan	27°11'42.8"	76°18'42.6"
66	Alwar	Thanagazi	Silibawdi	27°13'31.3"	76°18'23.7"
67	Alwar	Thanagazi	Bhuryali	27°11'40.6"	76°17'41.0"
68	Alwar	Thanagazi	Nandoli	27°13'07.9"	76°17'07.7"
69	Alwar	Thanagazi	Guwada Jamidar	27°11'14.5"	76°18'40.6"
70	Alwar	Thanagazi	Mordi	27°13'39.8"	76°15'27.4"
71	Alwar	Thanagazi	Kalapara	27°12'45.9"	76°15'32.9"
72	Alwar	Thanagazi	Piplai	27°12'56.9"	76°14'48.1"
73	Alwar	Thanagazi	Nirma	27°10'41.6"	76°19'09.0"
74	Alwar	Thanagazi	Bhadana ki baal	27°27'52.8"	76°20'35.7"
75	Alwar	Thanagazi	Gopalpura	27°16'05.6"	76°18'36.4"
76	Alwar	Thanagazi	Raipura	27°18'48.9"	76°18'47.1"
77	Alwar	Thanagazi	Shyampura	27°18'55.1"	76°17'02.3"
78	Alwar	Thanagazi	Todi luhan	27°21'18.7"	76°18'16.4"
79	Alwar	Thanagazi	Amra ka bas	27°22'52.1"	76°19'42.8"
80	Alwar	Thanagazi	Kalakhora	27°27'21.3"	76°20'31.6"
81	Alwar	Thanagazi	Baad gurjaran	27°27'38.0"	76°19'02.9"
82	Alwar	Thanagazi	Mundawara	27°31'18.9"	76°21'39.9"
83	Alwar	Thanagazi	Manavas	27°31'03.0"	76°23'53.0"
84	Alwar	Thanagazi	Kharkedi kalan	27°34'28.0"	76°22'11.5"
85	Alwar	Thanagazi	Kanpura loz	27°32'22.2"	76°24'40.8"
86	Alwar	Thanagazi	Guwada Kundal	27°10'13.4"	76°17'24.1"
87	Alwar	Thanagazi	Guwada Vyas	27°11'06.5"	76°18'38.8"

88	Alwar	Thanagazi	Duharmala	27°25'38.1"	76°20'52.7"
89	Alwar	Thanagazi	Guwada Hanuman	27°12'04.4"	76°18'33.7"
90	Alwar	Thanagazi	Guwada Sayab	27°12'00.4"	76°18'34.2"
91	Alwar	Bansur	Chind	27°40'15.4"	76°29'13.0"
92	Alwar	Bansur	Bilahat	27°35'50.7"	76°21'20.6"
93	Alwar	Bansur	Basna	27°36'19.1"	76°21'29.2"
94	Alwar	Bansur	Bishalu	27°37'09.5"	76°21'55.6"
95	Alwar	Bansur	Lekri	27°38'03.2"	76°23'50.7"
96	Alwar	Bansur	Kataria ka bas	27°42'20.4"	76°27'40.9"
97	Alwar	Bansur	Ghat	27°39'27.2"	76°24'21.3"
98	Alwar	Bansur	Mundali	27°40'40.2"	76°25'02.3"
99	Alwar	Bansur	Bheram ka bas	27°39'43.6"	76°24'54.7"
100	Alwar	Bansur	Rampur	27°37'51.6"	76°24'51.8"
101	Alwar	Bansur	Asha ka bas	27°37'03.9"	76°25'39.5"
102	Alwar	Bansur	Gudha (Bhankarwala)	27°37'05.8"	76°25'50.9"
103	Alwar	Bansur	Kalyanpura	27°37'06.2"	76°26'51.8"
104	Alwar	Bansur	Kaliphari	27°38'32.9"	76°26'05.9"
105	Alwar	Bansur	Mangalwa	27°39'21.1"	76°25'58.4"
106	Alwar	Bansur	Hazipur	27°41'18.9"	76°26'54.6"
107	Alwar	Bansur	Hamirpur	27°42'24.9"	76°28'46.1"
108	Alwar	Bansur	Dhamla ka bas	27°38'45.9"	76°27'35.4"
109	Alwar	Bansur	Loz nathusar	27°33'05.0"	76°25'36.9"
110	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Guwada	27°4'44.1"	76°13'01.4"
111	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Singhpuri	27°5'06.4"	76°13'37.7"
112	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Killatpuri	27°6'02.9"	76°14'10.3"
113	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Nimla	27°4'43.0"	76°15'05.2"
114	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Shriramgopalpura	27°5'04.1"	76°16'07.8"
115	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Ramiyawala	27°3'49.2"	76°15'42.4"
116	Jaipur	Jamwa Ramgarh	Netawal	27°4'06.3"	76°15'35.1"

Annexure –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meetings as separate Annexure:
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure:

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure:
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006:
Details may be attached as separate Annexure:
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance.